



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 239]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2011/अग्रहायण 18, 1933

No. 239]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2011/AGRAHAYANA 18, 1933

भारतीय दन्त परिषद् अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 2011

सं. डीई-130-2011.—दन्त चिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा दन्तचिकित्सक अधिनियम, 1948 के खंड 20 के उप-खंड 2 की धारा (छ) तथा (ज) में यथानिर्धारित राज्य सरकारों के साथ परामर्श करने के बाद तथा केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से भारतीय दन्त परिषद् भारत के असाधारण राजपत्र के भाग III, खंड 4 में दिनांक 10 सितम्बर, 2007 को प्रकाशित मौजूदा संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 में एतद्वारा निम्न संशोधन करती है :—

1. लघु शीर्ष तथा प्रवर्तन

- ये विनियम भारतीय दन्त परिषद् संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (चौथा संशोधन) विनियम, 2011 कहलाएंगे।
- ये विनियम सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय दन्त परिषद् संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम (तीसरा संशोधन) विनियम, 2011 के विनियम 2(1) में "पाठ्यक्रम की अवधि" शीर्ष के अंतर्गत दी गई टिप्पणी "डीसीआई द्वारा यह सिफारिश की गई है कि जिन कालेजों ने संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 को वर्ष 2007 से ही कार्यान्वित किया है उन्हें मौजूदा पाँच वर्षीय कार्यक्रम जारी रखना है। जहां तक इस बैच के लिए स्थानबद्ध प्रशिक्षण का सवाल है, इसके बारे में सम्बंधित विश्वविद्यालय निर्णय लेगा" को एतद्वारा हटाया जाता है तथा टिप्पणी के नीचे निम्नलिखित प्रावधान जोड़ा जाता है, अर्थात् :—

बशर्ते शैक्षिक वर्ष 2007-2008 बैच में दाखिल किए गए छात्र, तदनुसार संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007 में निर्धारित बीडीएस के पाँच वर्ष की पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम को जारी रखेंगे, तथा अपनी थ्योरी (चार) विषयों को छः

महीने की अवधि के दौरान 160 लेक्चर घंटों को निम्न रूप से पूरी करेंगे :—

विषय	लेक्चर घंटे
मुख्य तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	30
परिरक्षी दंतचिकित्सा तथा एंडोडॉण्टिक्स	50
प्रोस्थोडॉण्टिक्स तथा क्राउन और ब्रिज	50
जन स्वास्थ्य दंतचिकित्सा	30
योग	160

ऐसा अध्ययन पूरा करने पर उन्हें विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठना होगा तथा सफलतापूर्वक परीक्षा पास करने के बाद ही उन्हें निम्नलिखित अवधि के अनुसार प्रत्येक विभाग में छः महीने का स्वतंत्र स्थानबद्ध प्रशिक्षण करने की अनुमति दी जाएगी :—

विभाग	लेक्चर की अवधि
1. मुख्य चिकित्सा तथा विकिरण चिकित्साविज्ञान	20 दिन
2. मुख्य तथा मैक्सिलोफेशियल सर्जरी	30 दिन
3. प्रोस्थोडॉण्टिक्स	30 दिन
4. पेरियोडॉण्टिक्स	15 दिन
5. परिरक्षी दंतचिकित्सा	10 दिन
6. पेडोडॉण्टिक्स	15 दिन
7. मुख्य विकृतिविज्ञान तथा सूक्ष्मजीवविज्ञान	10 दिन
8. आर्थोडॉण्टिक्स	10 दिन
9. सामाजिक दंतचिकित्सा/ग्रामीण सेवा	30 दिन
10. वैकल्पिक	10 दिन
योग	180 दिन

कर्मल (सेवानिवृत्त) डॉ. एस.के. ओझा, कार्यवाहक सचिव

[विज्ञापन III/4/98/11/असा.]

पाद टिप्पणियाँ :

1. मूल विनियम अर्थात् भारतीय दन्त परिषद् संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियम, 2007, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में 10-9-2007 को प्रकाशित हुए थे।
2. मूल विनियमों में पहला संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में 11-1-2008 को प्रकाशित हुआ था।
3. मूल विनियमों में दूसरा संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में 29-10-2010 को प्रकाशित हुआ था।
4. मूल विनियमों में तीसरा संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग III, खंड 4 में 25-8-2011 को प्रकाशित हुआ था।

**DENTAL COUNCIL OF INDIA
NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th December, 2011

No.DE-130-2011.—In exercise of the powers conferred by Section 20 of the Dentists Act, 1948, the Dental Council of India after consultation with the State Government as prescribed in clause (g) & (h) of sub-section 2 of Section 20, and with the previous sanction of the Central Government, hereby makes the following Amendments to the existing principal Revised BDS Course Regulations, 2007, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, dated 10th September, 2007.

1. Short title and commencement :—

- (i) These Regulations may be called the Dental Council of India Revised BDS Course (4th Amendment) Regulations, 2011.
- (ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In Regulation 2(i) captioned as "Duration of the Course" of the Dental Council of India Revised BDS Course (3rd Amendment) Regulations, 2011, the words "It is recommended by the DCI that the colleges who have implemented the revised BDS Course Regulation, 2007, in 2007 itself, has to carry on with the existing five year programme. Regarding internship for this batch it is up to the respective university to decide." under the captioned "NOTE:" are hereby deleted and the following proviso shall be inserted below the NOTE:, namely :—

Provided that the students of the batch admitted during the academic session 2007-2008, and consequently they are going to pursue their 5th year BDS Course as per the course curriculum and

syllabus prescribed in the principal Revised BDS Course Regulations, 2007, may complete their Theory in 4 (four) subjects with 160 Lecture hours within a period of 6 (six) months as given below :—

Subject	Lecture Hours
Oral & Maxillofacial Surgery	30
Conservative Dentistry & Endodontics	50
Prosthodontics and Crown & Bridge	50
Public Health Dentistry	30
Total	160

On completion of such study, they shall have to appear in the University Examination and only after passing University Examination successfully, they shall be allowed to do six months Paid Rotating Internship Programme in all the Departments for the duration indicated against each Department as under:—

Departments	Period of Postings
1. Oral Medicine & Radiology	20 days
2. Oral & Maxillofacial Surgery	30 days
3. Prosthodontics	30 days
4. Periodontics	15 days
5. Conservative Dentist	10 days
6. Pedodontics	15 days
7. Oral Pathology & Microbiology	10 days
8. Orthodontics	10 days
9. Community Dentist/Rural Service	30 days
10. Elective	10 days
Total	180 days

Col. (Retd). Dr. S.K. OJHA, Offg. Secy.
[ADVT. III/4/98/11/Fxty.]

Foot Notes:

1. The Principal Regulations, namely, Dental Council of India Revised BDS Course Regulations, 2007 published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 10-9-2007.
2. 1st Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, on 11-1-2008.
3. 2nd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4 of the Gazette of India, Extraordinary, on 29-10-2010.
4. 3rd Amendment to the Principal Regulations, published in Part III, Section 4, of the Gazette of India, Extraordinary, on 25-8-2011.